

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अपराध के दोषी
गणना के लिए
अपराध के लिए

अपीला-2 की ओर से प्रस्तुत

अर्चना - पत्र 032 R 3 CPC के
वकील का कर रेफरेंस-2 सं. 6 के
संरक्षक वादग्रिह उसकी कुदरती
वलिता मात्रा रेफरेंस-2 सं. 02
पानी बेवा गोविन्दराव कपील से
संशोधन मानने हुए रेकॉर्ड पर
लिखा जाता है



पत्रावली जारी की जाये वदरता
के दिनांक 08/03/2022 को पेश
होगा

(सुनील कुमार)
सहायक अधीक्षक
(SD) बालोत्तरा

08/03/22

वकुलाश मरीकेन उपा
अपीला-2 की ओर से अर्चना-पत्र
पेश कर अर्चना - पत्र क्र. नं.
310, वक्रमात्र क्र. नं. 1854/310, 1855/310
की हद तक कपील विही करने का वकील
श्री चेलाराव के द्वारा प्रस्तुत किया गया

(सुनील कुमार)
सहायक अधीक्षक
(SD) बालोत्तरा

र 3 CPL के
 सं. 6 के
 कुदरती

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>काल के दौरान निवेदन किया गया कि दिनांक 05.04.2005 से पूर्व पारिवारिक बंटवारा जमिने सम्पत्ति का निस्त्राल हो चुका है, जो उसमें उक्त सम्पत्ति में हितवद्द पक्षकार के हितकार पैदा नहीं होते हैं, तथा रजिस्ट्रील इंगाराश की एक और जात-रा पुजी थी, जिसमें इस्तरात कमील में पक्षकार नहीं बनाया है, कावबपद पक्षकार के अज्ञान में कमील विक्रि के वास्तिव होते रहे इसी एजेज पर अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पणवली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त हम इस निवेदन पर</p>	



(मोहता सीमा)
 मुख्य अधिकारी
 (SDJ) पणवली



~~पट्टे है कि ग्राम जसोल का
 झीलापीन नामात्रकाल संख्या 462
 को स्व. इंगराराम की जोतगी
 पर झीला-2 कपो पुषी स्वगीन
 इंगराराम का नाम दर्ज नहीं
 किया गया जब कि ग्राम तेमकास
 के नामात्रकाल संख्या 66 को
 स्व. इंगराराम की जोतगी पर
 झीला-2 कपो पुषी स्व. इंगराराम
 का नाम दर्ज किया गया है
 जे-डु उतराधिकार के तहत झीला-2
 को अपने हक-हिस्से से वंचित
 नहीं किया जा सकता है।
 झीला-2 की झील में प्रस्तुत
 जयना-पत्र बाबर कूल ख. नं. 310
 वर्तमान खसरा नं. 1854/310 व
 1855/310 की कृषि स्थानीय किकाप
 नगर परिषद् बालोतरा के नाम~~



(नेम सोनी)
 उपपरवण्ड अधिकारी
 (D.P.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

90 (ए) को चुकी है इसलिये
 इस कृषि के इस तक ऊप्रील
 को विही करने का अधिन-
 पत्र को स्वीकार किया जाता है
 अजीला-2 की ऊप्रील को
 स्वीकार कर ग्राम पंचायत जसोल
 के द्वारा ऊप्रीलादीन नामान्तरकण
 सं. 462 पर दिनांक 03-11-1974
 को पारित आदेश को रूपांतर
 कर स्वीकार किया जाकर
 तहसीलदार, पंचपदरा को पुनः
 प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये
 जाते हैं कि स्व. डूंगराराण के
 विधिक उत्तराधिकारियों की जान्य
 करने के उपरान्त नले सिरे
 से नामान्तरकण करा जावे।
 आदेश काज दि. 08/03/2022 को
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश सोनी)
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बालोतरा

(नरेश सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बालोतरा